न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Raj-D- 37/2016 श्री राजेन्द्र कुमार बनाम श्री राधेश्याम

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ दिनांक 30–06–2016 प्रकरण संख्या 68/2015 रेवेन्यू वाद ———————	
28–3–2018	वकील अपीलान्ट व जी.ए. उपस्थित। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 व 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे है। प्रकरण में समायत शुदा बहस तथा पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकर कर बहस पर मनन करने से हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 के विभाजन वाद में पत्रावली दिनांक 7–4–2016 को प्रतिवादी संख्या–6, 7 अर्थात अपीलान्ट संख्या 1 व 2 की तामिल के लिए लम्बित होकर प्रकरण में आगामी तिथि 9–5–2016 तय की गई थी परन्तु 9–5–2016 के स्थान पर दिनांक 20–6–2016 को पत्रावली को लोक अदालत में रखी जाकर, जिसके नोटिस अपीलान्ट को नहीं दिये गये, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलान्ट को बिना सूचित किये व सुने प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी है, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय एवं विधिक प्रक्रिया के प्रतिकूल है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30–6–2016 अपास्त की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को सभी पक्षकारों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करने को **प्रतिप्रेषित** किया जाता है। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29–5–2018 को उपस्थित होवें। पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28–03–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(एल.एन. मंत्री)** **भू–प्रबन्ध अधिकारी** **एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी** **उदयपुर**	